राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस–आई/पार्ट फाइल/39 दिनांक 11.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, भारत सरकार ने ''कोविड–19'' की महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे भारत में लॉकडाउन किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, याचिका (सिविल) डायरी सं. (एस) 10795/2020 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 08.04.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) के आदेश के द्वारा यह पाया है कि ''भारत सरकार, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र और संबंधित पुलिस प्राधिकरणों को निदेश दिए जाते हैं कि अस्पतालों और उन जगहों पर जहां मरीजों का कोविड–19 का इलाज किया जा रहा है अथवा जहां मरीजों को घरों में क्वारंटीन किया जा रहा है, वहां डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ को आवश्यक पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए. ऐसे डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा स्टाफ को भी आवश्यक पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जो इस बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए लोगों की स्क्रीनिंग हेतु उनके स्थानों पर जाते हैं''।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दिल्ली पुलिस के समस्त जिला उपायुक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के किसी मामले में, दोषियों के विरुद्ध निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

सभी जिलों के पुलिस् उपायुक्त, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय स्वास्थ्य/गृह मंत्री, दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
5. उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
7. सचिव (स्वा0 एवं परि0 कल्या0), दिल्ली।
8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
9. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।